

न्याय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)

आदेश पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
33/18	188 R.F. 136/18	जयपुरा	बारां
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
राजकलाश	बनाम	पञ्चलाल	

वकील :- आदेश पत्रक वकील :-

दिनांक कार्यवाही एवं आदेश विविध संदर्भ

16<sup>5</sup>/18

वकील द्वारा एक पत्र अंतर्गत धारा 188 R.F. 136/18 के अंतर्गत पेश किया गया।  
 विरुद्ध प्रतिवादी के पत्रावली के कारण दर्ज रिपोर्ट के अंतर्गत पेश किया गया।  
 तलब का अंतर्गत दिनांक 17/5/18 को पेश हो।

17<sup>5</sup>/18

राजस्व लोक अदालत अभियान  
 न्याय आपके द्वार 2018

वादी राजकलाश पत्रावली पेश है। राजस्व लोक अदालत के अंतर्गत पेश किया गया है।  
 नहीं हो पाए है, अतः पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में दिनांक 21/7/18 को पेश हो।

राजकलाश  
 पञ्चलाल

27/18

वकील ने दस्तावेज पेश किये जो साबित किये।

आज पीठारीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में दिनांक 20/8/18 को पेश हो।

रीडर  
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी  
 छबड़ा (बारा)

20<sup>8</sup>/18

आज पीठारीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में दिनांक 24/9/18 को पेश हो।

रीडर  
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी  
 छबड़ा (बारा)

21/10/19

पत्रावली पेश हुई। वकील द्वारा उपस्थित प्रतिवादी गणों की तलबी हेतु तलबगी भीफ ही पेश करेंगे।  
 वास्तु तलबी तलबगी पत्रावली दिनांक 25/10/19 को पेश हो।

25<sup>7</sup>/19

आज पीठारीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में दिनांक 26/3/19 को पेश हो।

रीडर  
 न्यायालय उपखण्ड आ...ारी  
 छबड़ा (बारा)

पत्रावली पेश हुई। प्राची रामकल्याण पुत्र न्यायमाला  
जाति — पत्नी निवासी जेपला द्वारा प्राचीन पत्र अथ  
पारित डिडी दिनेक 31/8/14 पेश कर निवेदन किया  
है कि श्रीमान के द्वारा उक्त प्रकरण संख्या 33/018  
दावा दादा 188 RTA केवान रामकल्याण पीड वीरलाल  
में आदेश पारित करते समय प्राची का नाम रामकल्याण  
के स्थान पर रामकल्याण कर दिया गया है। अतः प्राची  
का नाम शुद्ध कर संशोधित आदेश पारित करने की  
कृपा करें।

प्राची द्वारा प्रस्तुत प्राचीन पत्र का अवलोकन किया  
तथा न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनेक 31/8/14 का  
एव पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन करते पर  
पाया कि प्राची का नाम रामकल्याण दर्ज रिमांड है।  
परन्तु टंकण वृत्ति से रामकल्याण के स्थान पर रामकल्याण  
हो गया जिसे शुद्ध किया जाना अथ संशोधित है। अतः  
प्राची द्वारा प्रस्तुत प्राचीन पत्र स्वीकार किया जाता है  
तथा तहसीलदार इका को निर्देशित किया जाता है  
कि इस न्यायालय द्वारा जारी आदेश दिनेक 31/8/14  
में प्राची रामकल्याण का नाम टंकण वृत्ति से रामकल्याण  
के स्थान पर रामकल्याण दर्ज हो गया है। जिसे जिसे  
रामकल्याण के स्थान पर रामकल्याण पदा जोके तहसील  
दार इका को पृथक से आदेश जारी हो। पत्रावली पेश  
हो कर दाखिल दफतर हो।